संख्या– 1656/अड़तीस–7–2013–152नरेगा/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परियोजना निदेशक/संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2013

विषयः– निर्मल भारत अभियान के तहत मनरेगा अंश की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा शौचालय निर्माण में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1405/33–3–2013/38/2013 दिनांकः 10–05–13 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित निर्मल भारत अभियान के कियान्वयन हेतु निर्गत मार्गनिर्देशिका के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु कुल लागत रू0 10,000.00 में से 4500.00 का वहन महात्मा गांधी नरेगा से किया जाना है।

2– शौचालयों के निर्माण हेतु मनरेगा योजना की अंश की ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्धता, शौचालयों का निर्माण तथा एमआईएस के संबंध में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह संयुक्त रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सघन रूप से समीक्षा करते हुए कार्यक्रम के कियान्वयन में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करायी जायः–

1. जनपद की ऐसी ग्राम पंचायतों का विवरण जहां निर्मल भारत अभियान के अधीन योजना कियान्वित की जा रही है तथा वहां मनरेगा की धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय हो गया है।
2. ई–मस्टर रोल निर्गत किये जाने में यदि कोई कठिनाई है तो उसका विवरण।
3. साप्ताहिक भौतिक प्रगति। यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्मित शौचालयों के न्यूनतम 90 प्रतिशत का एमआईएस फीडिंग किया जा चुका है।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रति सप्ताह शुक्रवार को अपरान्ह 4:00 बजे तक संयुक्त हस्ताक्षरों से अपनी आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे व प्रति निदेशक, पंचायती राज तथा अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास(मनरेगा सेल) को भी ई–मेल/फैक्स से

सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी अपने स्तर से भी साप्ताहिक अनुश्रवण करते हुए यदि कोई कठिनाई इंगित की जाती है तो उसका निराकरण करायेंगे।

उपरोक्तानुसार जनपदवार प्राप्त सूचना के आधार पर प्रत्येक सप्ताह अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास(मनरेगा) एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा बैठक की जायेगी तथा कार्यक्रम का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1656 (1)/अड़तीस–7–2013 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास ,उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।